

**न्यायालय:- साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी**  
**जिला-अशोकनगर (म.प्र.)**

**दांडिक प्रकरण कं.-458 / 12**  
**संस्थापित दिनांक-20.11.2012**  
Filling no- 235103003292012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर। .....अभियोजन
<b>विरुद्ध</b>
<b>1-</b> अमर सिंह पुत्र राजधर लोधी उम्र 40 साल निवासी- ग्राम देवल खो चंदेरी जिला-अशोकनगर म0प्र0 .....आरोपी

**-:: निर्णय ::-**

**(आज दिनांक 30.08.2017 को घोषित)**

**01-** आरोपी के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 323 दो-बार के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर आरोप है कि दिनांक 24.10.2012 को करीब रात्रि 9 बजे दाउ बाबा के चबूतरा ग्राम देवल खो में फरियादी, आहतगण को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा सुनने वालो को क्षोभ कारित किया एवं गुलाब सिंह, बलराम आदि को पत्थर फेककर मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

**02-** प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि आहत गुलाब सिंह एवं अभियुक्त के मध्य दिनांक **30.08.2017** को राजीनामा हो जाने से आरोपी अमर सिंह को भा.द.वि की धारा 323 (गुलाब के संबंध में) के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

**03-** अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि अब्दुल हमीद ए.एस.आई थाना चंदेरी में दायल बलराम को कथनो के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की लेख की कि गाँव में दशहरे का त्यौहार मनाया जा रहा था, तो दाउ बब्बा के चबुतरे के पास करीबन 20 लोग मौजूद थे उनमें से गुलाब सिंह लोधी ने अमर सिंह लोधी से पूछा की तुम्हारी जमीन है तुम नारियल क्यों नहीं लाये, इसी बात पर अमर सिंह, गुलाब सिंह को मां बहन की बुरी बुरी गालियां देने लगा, गुलाब सिंह ने गाली देने से मना किया तो अमर सिंह ने एक पत्थर उठाकर फेका तो गुलाब सिंह के सीने में लगा वह वहीं गिर गया। जब बलराम अमर सिंह को पकड़ने गया तो अमर सिंह ने उसको भी

2-3 पत्थर फेंककर मारे तो उसके दाहिने पैर के घुटने व अंगुठे में लगकर खून निकल आय था और अमर सिंह वहां से भाग गया था। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपी को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

**04-** अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोश होना तथा रंजिशन झुठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

**05-राजीनामा उपरांत प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न प्रश्न विचारणीय हैं :-**

1.	क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 24.10.2012 को करीब रात्रि 9 बजे दाउ बाबा के चबूतरा ग्राम देवल खो में फरियादी, आहतगण को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
2.	क्या घटना दिनांक समय व स्थान पर गुलाब सिंह, बलराम आदि को पत्थर फेंककर मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

**: : सकारण निष्कर्ष : :**

**विचारणीय प्रश्न क0 1 :-**

**06-** अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। आहत गुलाब सिंह अ0सा05, बलराम अ0सा02 एवं अन्य साक्षीगण ने आरोपी द्वारा अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित होने के संबंध में कोई भी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है। फलतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचना से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर आहतगण को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया।

**विचारणीय प्रश्न क0 2 :-**

**07-** अभियोजन साक्षी आहत बलराम विश्वकर्मा अ0सा02 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह न्यायालय उपस्थित आरोपी अमर सिंह को जानता है तथा अन्य आहत गुलाब सिंह को भी जानता है। उक्त साक्षी ने उसके मुख्य परीक्षण में आगे व्यक्त किया कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। घटना के संबंध में वह किसी कार्यवाही के लिये थाने नहीं गया था और न ही किसी ने उससे पूछताछ की थी। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर

इस बात को स्वीकार किया कि घटना दशहरे के समय की है। दाउ बब्बा के चबुतरे पर दशहरे की पूजा होती है जहां अमर सिंह को दाउ बब्बा की सवारी आती है। बलराम विश्वकर्मा अ0सा02 ने बताया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि आरोपी ने गुलाब सिंह को पत्थर उठाकर मारा था इस बात से भी इंकार किया कि आरोपी ने उसे भी पत्थर फेंककर मारा था जिससे उसके दांहिने पैर के घुटने एवं अंगुठे में चोट आई थी। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्र.पी.3 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाने पर उसने पुलिस को ऐसा कथन न देना व्यक्त किया, पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया वह कारण नहीं बता सकता।

**08—** प्रकरण के अन्य आहत गुलाब सिंह अ0सा05 ने उसके कथनों में बताया कि वह आरोपी को जानता है। घटना दिनांक को आरोपी अमर सिंह से पूजा का सामान नहीं लाने पर कहा सुनी होना व्यक्त किया। उक्त साक्षी ने बताया कि इसके अलावा और कोई घटना आरोपी ने उसके साथ नहीं की। अभियोजन अधिकारी द्वारा सूचक प्रश्न न्यायालय की अनुज्ञा से पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि अभियुक्त अमर सिंह ने उसे मां बहन की बुरी गालियां दी थी और इस बात से भी इंकार किया कि अभियुक्त अमर सिंह ने उसे पत्थर हाथ में उठाकर लापरवाही व उतावलेपन से उठाकर मारा था जो उसकी छाती में बांयी तरफ लगा था। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्र.पी.6 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाने पर उसने पुलिस को ऐसा कथन न देना व्यक्त किया, पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया वह कारण नहीं बता सकता। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि उसे फिसलकर स्वयं गिरने से चोटे आई थी और उन्ही चोटों का मेडिकल हुआ था।

**09—** जहार सिंह अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपी व आहतगण को जानता है। अभियोजन कहानी के विपरीत उक्त साक्षी ने उसके मुख्य परीक्षण में बताया कि आहत गुलाब सिंह ने देवताओं को गालियां दी थी। उक्त साक्षी का कहना है कि गाँव के बल्लू गुलाब को पकड़कर दूर कराये थे और गुलाब सिंह फिर दौड़कर आया था और छाती के बल गिर पड़ा था। प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि आरोपी चबुतरे से उतरकर दूर खड़ा हो गया था और उसने गुलाब सिंह को पत्थर मारा था जो गुलाब के सीने में लगा था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि गुलाब और बलराम दोनों शराब पीए हुए थे और शराब के नशे में सीने के बल पत्थरों पर गिर जाने से चोट आई थी। इसके अलावा रघुवीर अ0सा03, रमेश अ0सा04 ने अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षीगण ने अभियोजन द्वारा न्यायालय की अनुमति से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने क्रमशः पुलिस कथन प्र.पी.4 एवं प्र.पी. 5 का ए से ए भाग पुलिस को न देना व्यक्त किया।

**10—** इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी, आहत गुलाब सिंह एवं बलराम के अलावा अन्य अभियोजन साक्षी जहार सिंह, रघुवीर और रमेश ने अभियोजन घटना का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहतगण को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उन्हें तथा अन्य सुनने वालों

को क्षोभ कारित किया और न ही इस बात का समर्थन किया कि अभियुक्त द्वारा आहत गुलाब सिंह एवं बलराम को पत्थर फेंककर स्वेच्छया उपहति कारित की।

**11—** अतः अभियोजन यह युक्ति युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दिनांक 24.10.2012 को करीब रात्रि 9 बजे दाउ बाबा के चबूतरा ग्राम देवल खो में फरियादी, आहतगण को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा बलराम आदि को पत्थर फेंककर मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। अतः आरोपी अमर सिंह के विरुद्ध धारा 294, 323 भा0द0वि0 का आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्त को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

**12—** अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

**13—** प्रकरण में निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।

**14—** अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।  
कर घोषित किया गया।

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0